

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  खेमसिंह बनाम लो.सू.अ.( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) सू.अ.अ. अपील संख्या 155/2017	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.08.2017 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्रांक एफ 5(5)जिराले/निराले/2016/560 दिनांक 14.12.2016 एवं आन्तरिक लेखा जांच दल निरीक्षण वृत्तान्त अवधि 7/08 के पेरा 9(ii) (iii) की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	